न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चाहौन, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 44/2012

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट :–**
1. हिम्मतसिंह पुत्र मगनलाल जाति सरगडा निवासी सिरोही 2. हीरालाल पुत्र मगनलाल जाति सरगडा निवासी सिरोही		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

श्री नगेन्द्र मेडतीया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 5.12.17

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा राजस्व अपील संख्या 10/2010 प्रतापसिंह बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 04.05.2012 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का बालदा ने मौजा रामपुरा के खसरा नम्बर 628 रकबा 1.00 हैक्टेयर किस्म बंजर की भूमि पर अपीलाण्ट्स द्वारा अतिक्रमण किया जाना बताते हुए तहसीलदार सिरोही के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पर मातहत अदालत द्वारा अपीलाण्ट्स को उक्त आराजी से बेदखल करने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही में प्रस्तुत की, जिसमें जैर अपील आदेश के जरिये मातहत अदालत द्वारा अपीलाण्ट की अपील को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट्स को समुचित सुनवाई का अवसर ही प्रदान नही किया। उपरोक्त आराजी पर अपीलाण्ट्स का अपने पिता के समय से पुराना लगातार निर्बाध रूप से कब्जा काश्त है तथा अपीलाण्ट्स को उक्त भूमि से कभी भी बेदखल नही किया गया है। इस पुराने कब्जे के समर्थन में अपीलाण्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किये, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन साक्ष्यों पर किसी प्रकार का गौर किए बिना जैर अपील आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट्स द्वारा कभी भी मातहत अदालत के समक्ष अतिक्रमण करना स्वीकार नही किया, किन्तु मातहत अदालत द्वारा साईक्लो स्टाईल में आदेश पारित कर अपीलाण्ट्स की स्वीकारोक्ति दर्शाते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। चूंकि जैर अपील वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट्स का अपने पिता के समय से पुराना कब्जा काश्त है, इस कारण प्रकरण नियमितिकरण योग्य था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसी कोई प्रक्रिया नही अपनाते हुए बेदखली के आदेश पारित किये है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील आदेश को अपास्त कराते हुए अपीलाण्ट्स के नाम से भूमि नियमन/आवंटन कराने का आदेश प्रदान करावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम राजपुरा के खसरा नम्बर 628 रकबा 1.00 हैक्टेयर किस्म बंजर की भूमि राजस्व रेकर्ड में खाता संख्या 1 में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट्स द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट्स के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट्स की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम राजपुरा के खसरा नम्बर 628 रकबा 1.00 हैक्टेयर किस्म बंजर की भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। पटवारी हल्का बालदा द्वारा तहसीलदार सिरोही के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि हिम्मतराम, हीरालाल पि0 मगनलाल जाति सरगडा सा0 सिरोही द्वारा उपरोक्त भूमि पर कब्जा कर काश्त किया है, इस पर तहसीलदार सिरोही द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 18.09.2009 की तारीख पेशी नियत की। उक्त आदेश की पालना में जो नोटिस जारी किया गया, वह स्वयं अपीलाण्ट से तामील करवाया गया है। इसके पश्चात अपीलाण्ट द्वारा नियत तारीख पेशी दिनांक 19.09.2009, 29.9.2009, 08.10.2009 तथा 23.10.2009 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा। अपीलाण्ट्स द्वारा अपने जवाब में उक्त भूमि पर अपना कब्जा होना स्वीकार किया। चूंकि उक्त भमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त भूमि पर अपीलाण्ट के कब्जे को अतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होना मानते हुए जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट पर जुर्माना आरोपित करते हुए उक्त भूमि से अपीलाण्ट्स को बेदखल करने के आदेश पारित किए है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा प्रकरण संख्या 130/2009 में तहसीलदार सिरोही द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.11.2009 तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा राजस्व अपील संख्या 10/2010 में पारित निर्णय दिनांक 04.05.2012 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 5.12.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली